निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या /SE-106/2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला आबकारी अधिकारी, टिहरी (गढ़वाल)** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

जिला आबकारी अधिकारी, टिहरी (गढ़वाल) के माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अजय कुमार मिश्रा एवं श्री विनय कुमार द्विवेदी सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 16.11.2018 से 28.11.2018 तक श्री आर.एस.नेगी-II, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **(1)परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री ए0के0 गुप्ता, एवं श्री अंशुमन अग्रवाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 18.11.2017 से 28.11.2017 तक श्री पी0के0 गुप्ता, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2016 से 03/2017 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व एवं व्यय हेतु माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।
2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** -
3. (ii) (अ) **राजस्व विवरण**

विगत वर्षो मे कार्यालय (आबकारी विभाग) द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2015-16	5669.47
2016-17	5316.35
2017-18	6184.24

(ii)(ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)`	बचत (-)`
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2015-16	-	-	-	-	6706500	6588080	-	118420/-
2016-17	-	-	-	-	8722000	7330549	-	1391451/-
2017-18	-	-	-	-	9066000	8049345	-	1016655/-

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
ऐसी कोई योजना नहीं है।					

(iii)इकाई को बजट आवंटन शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई -A--श्रेणी की है।

(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव (वित्त)

आबकारी आयुक्त

अपर आबकारी आयुक्त

वित्त नियंत्रक

संयुक्त आबकारी आयुक्त

उप आबकारी आयुक्त

प्राविधिक अधिकारी , सहायक आबकारी आयुक्त

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

प्रशासनिक अधिकारी

व्यक्तिक सहायक , आबकारी निरीक्षक , आशुलिपिक ग्रेड-1, लेखाकार, वरिष्ठ संप्रेक्षक , प्रधान सहायक, वरिष्ठ सहायक, सहायक लेखाकार, आशुलिपिक ग्रेड-2, कनिष्ठ संप्रेक्षक, कनिष्ठ सहायक, वाहन चालक, प्रधान आबकारी सिपाही, आबकारी सिपाही,अनुसेवक

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **जिला आबकारी अधिकारी, टिहरी (गढ़वाल)** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला आबकारी अधिकारी, टिहरी (गढ़वाल)** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) **विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-**

राजस्वः माह जून 2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

व्ययः माह मार्च 2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- लागू नहीं ।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2 'ब'

प्रस्तर- 01 पूर्व वर्ष की आबकारी नीति से विपथन से रु0 2.31 करोड़ के राजस्व की हानि ।

उत्तराखंड राज्य मे देशी एवं विदेशी मदिरा एवं बीयर की फूटकर विक्री को विनियमित करने हेतु प्रतिवर्ष उत्तराखंड शासन अधिसूचना द्वारा आबकारी नीति घोषित करता हैं अधिसूचना के प्रस्तर -01 मे मदिरा दुकानों के कुल राजस्व निर्धारण करता है।

वर्ष 2016-17 के लिए जारी अधिसूचना के अनुसार विदेशी एवं देशी मदिरा दुकानों का राजस्व निर्धारित के लिए एक आगणक सूत्र[1] के आधार पर एक गुणांक निश्चित किया गया था तथा इस प्रतिबंध के साथ मदिरा दुकानों का राजस्व निर्धारण किया जाना था कि राजस्व, न्यूनतम बेस राजस्व से कम न हो। इसप्रकार, सूत्रानुसार किसी भी दशा में राजस्व का निर्धारण पूर्व वर्ष से कम निर्धारण नहीं किया जा सकता था।

वर्ष 2017-18 के लिए मदिरा दुकानों का कुल राजस्व ₹56 करोड़ का राजस्व निर्धारित किया गया परंतु प्रत्येक दुकान के राजस्व के संबंध मे वर्ष 2016-17[2] की तरह का प्रतिबंध कि राजस्व, न्यूनतम बेस राजस्व से कम निर्धारित नहीं किया जा सकता है, नहीं था |

जिला आबकारी अधिकारी टिहरी गढ़वाल के अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि आयुक्त आबकारी के पत्रांक की दिनांक 30 मार्च 2017 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए 01-04-2017 से 30-04-2017 तक माननीय न्यायालय के निर्णय से प्रभावित होने वाली दुकानों के राजस्व वर्ष 2016-17 के राजस्व से 5 % वृद्धि की जाय तथा शेष अप्रभावित दुकानों के लिए 25 % की राजस्व वृद्धि की गई थी | प्रतिबंध के अभाव मे वर्ष 2017-18 के राजस्व मे वर्ष 2016-17 के राजस्व के सापेक्ष जनपद टिहरी की चार दुकाने नामतः

---

[2]विदेशी मदिरा दुकानों हेतु - 1+(1.834) /application/100

देशी मदिरा दुकानों हेतु - 1.13+(1.834) /application/100

[3]वर्ष 2016-17, के लिए टिहरी जनपद की मदिरा दुकानों का कुल राजस्व रु 49.60 करोड़ निर्धारित किया गया था

भागीरथीपुरम ,चम्बा , नई टिहरी व कोडियाला के राजस्व मे रु 2,31,38,255/- की कमी पाई गई जिसका विवरण निम्नवत है:

तालिका - I

(राजस्व ₹ में)

क्रम संख्या	दुकान का नाम	वर्ष 2016-17 में प्राप्त राजस्व	वर्ष 2017-18 निर्धारित राजस्व	कमी
1.	भागीरथीपुरम	4,79,02,426/-	4,20,00,000/-	59,02,426/=
2.	चम्बा	7,91,70,887/-	6,70,00,000/-	1,21,70,887/-
3.	नई टिहरी	4,24,78,137/-	4,05,00,000/-	19,78,137/-
4.	कोडियाला	1,90,86,805/-	1,60,00,000/-	1,30,86,805/-
		18,86,38,255/-	16,55,00,000/-	2,31,38,225/-

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर ,इकाई ने उत्तर दिया की माननीय न्यायालय के आदेश के कारण उपरोक्त दुकानों को 500/220 मीटर दूर स्थानांतरित करना पड़ा कई जगह पर दुकाने नही मिल पाई और जन विरोध के कारण दुकाने खुल नहीं पाई जिसके कारण विगत वर्ष 2016-17 के माह अप्रैल 2016 के अधिभार की तुलना मे कम राजस्व की प्राप्ति हुई उपरोक्त परिस्थितियो को दृष्टिगत रखते हुये ही वर्ष 2017-18 मे उपरोक्त दुकानों के राजस्व को कम किया गया परंतु इन चार दुकानों मे कम किए गए राजस्व को ,अन्य दुकानों के राजस्व मे जोड़ कर वसूल कर लिया गया |

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योकि विभाग द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया कि जब निर्धारित मासिक अधिभार के सापेक्ष वर्ष 2016-17 मे उठान मे कमी नही थी तो वर्ष 2017-18 के दुकान के राजस्व निर्धारण मे कमी का औचित्य नहीं था। पुनः एक क्षेत्र की दुकानों की मांग को अन्य क्षेत्र की पूर्ति से समायोजित नहीं स्वीकारा जा सकता। इसप्रकार,दूसरे क्षेत्र विशेष की दुकान से बढ़कर प्राप्त हुये राजस्व को इन दुकानों के राजस्व से समायोजित कर विभाग ने बढ़े राजस्व के लाभ का अवसर खो दिया।इसप्रकार, पूर्व वर्ष की आबकारी नीति के विपथन से रु0 2.31 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

अत: प्रकरण शासन के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-2 'ब'

प्रस्तर-2 अनुज्ञापियों द्वारा निश्चित समयावधि मे आवश्यक दस्तावेज जमा न किए जाने के बावजूदलाईसेंस फीस जब्त न किया जाना `281.63 लाख

उत्तराखण्ड शासन आबकारी अनुभाग संख्या 260 /XXIII/2016/04(01) 2017देहरादूनदिनांक 19 मई 2017 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु के नियम 16(3) मेयह प्रावधान किया गया है कि दुकान आंवटित होने के 20 दिन के अन्दर यदि अनुज्ञापी हैसियत प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण-पत्र और स्थायी निवास प्रमाण-पत्र जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय मे प्रस्तुत नही करता है तो इस दशा मे अनुज्ञापी को आंवटित देशी/विदेशी मदिरा दुकान का आवटन अनुज्ञापी के जोखिम The Uttarakhand Excise (settlement of licenses for retail sale country /foreign liquor/beer rule, 2001) से स्वत: निरस्त माना जायेगा तथा अनुज्ञापी द्वारा जमा किये समस्त राजस्व को सरकार के पक्ष मे जब्त कर दिया जायेगा।

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारीटिहरी के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच के दौरान पाया गया कि वर्ष 2017-18मे जनपद के विदेशी मदिरा के अनुज्ञापियों (संलग्नक के अनुसार) द्वारा आवश्यक सभी/पूर्ण अभिलेख आबकारी नीति के नियम-16(3) के अनुसार निश्चित समयावधि मे प्रस्तुत नही किए गये थे।अत विदेशी मदिरा की लाईसेंस फीस 281.63लाख, वर्ष 2017-18 (संलग्नक-1) मे सरकार के पक्ष मे जब्त कर लाईसेन्स निरस्त किया जाना चाहिए था एवं इसके अतिरिक्त 20 दिन के अन्दर अन्य जमा राजस्व भी जब्त किया जाना चाहिए था। परन्तु विभाग द्वारा लाइसेन्स निरस्त कर लाइसेन्स हेतु जमा धनराशि एवं प्रतिभूति जमा धनराशि को जब्त किए जाने की कार्यवाही नही की गयी थी ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने अवगत करायाकि अनुज्ञापियों को दुकान आवंटन के समय ही समस्त वांछित प्रमाण पत्र निर्धारित समयावधि के अंतर्गत प्रस्तुत करने हेतु नोटिस दिया गया था , पुनः नोटिस देकर उक्त वांछित प्रमाण पत्र निर्धारित समयसीमा के अंदर प्रस्तुत करने हेतु कहा गया, जिसके क्रम मे अनुज्ञापियों द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा वांछित प्रमाण पत्रो हेतु समय से आवेदन कर दिया गया था परंतु प्रमाण पत्रो संबन्धित औपचारिकताओ पूर्ण करने मे समय लगने के कारण प्रमाण पत्र जारी होने मे विलंब हुआ | अतः उक्त प्रमाण पत्र संबन्धित प्रमाण पत्र निर्गम करने वाले सक्षम प्राधिकारी के स्तर पर प्रक्रियाधीन होने के कारण दुकानों का आवंटन निरस्त नहीं किया गया व जारी होने के बाद समस्त अनुज्ञापिओ द्वारा वांछित समस्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिये गए |विभाग का उत्तर मान्य नही है क्योंकि लाइसेंस निरस्त न किए जाने के संबंध मे शासन से कोई आदेश निर्गत नही किया गया था। अत विभाग को अनुज्ञापियों का लाईसेन्स निरस्त करते हुए जमा लाईसेन्स फीस व अन्य राजस्व जमा जब्त किया जाना चाहिए था।

अत: प्रकरण शासन के संज्ञान मे लाया जाता है।

संलग्नक

क्र०स०	दुकान का नाम	अनुज्ञापी का नाम	दुकान आवंटन तिथि	दस्तावेज़ प्रस्तुत की अंतिम तिथि	विलंब से प्रस्तुत दस्तावेज़	दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की तिथि	लाइसेन्स फीस
1	लम्बगांव	श्री राजेंद्र प्रसाद	30-05-2017	20-06-2017	हैसियत प्रमाण पत्र चरित्र प्रमाण पत्र	01-07-17 01-07-17	33,28,000/-
2	शिवपुरी	श्री सुमेर सिंह	30-05-2017	20-06-2017	चरित्र प्रमाण पत्र	27-06-17	23,38,000/-
3	धनोल्टी	श्रीमती सुमति जोशी	30-05-2017	20-06-2017	हैसियत प्रमाण पत्र चरित्र प्रमाण पत्र	19-07-17 29-06-17	863000/-
4	हिंडोलाखल	श्री कृति सिंह	30-05-2017	20-06-2017	हैसियत प्रमाण पत्र चरित्र प्रमाण पत्र	15-07-17 02-08-17	20,86,000/-
5	कीर्तिनगर	श्रीमती अलका रमोला	30-05-2017	20-06-2017	चरित्र प्रमाण पत्र	01-07-17	35,08,000/-
6	भागीरथीपुरम	श्री रमेश सिंह	30-05-2017	20-06-2017	चरित्र प्रमाण पत्र	10-07-17	30,10,000/-
7	घनसाली	श्री दिनेश कुमार	30-05-2017	20-06-2017	चरित्र प्रमाण पत्र	24-04-17	49,16,000/-
8	नंदगाव	श्रीमती भगवानी देवी	30-05-2017	20-06-2017	चरित्र प्रमाण पत्र	15-08-17	15,62,000/-
9	नरेंद्र नगर	श्री मग्गा सिंह	30-05-2017	20-06-2017	हैसियत प्रमाण पत्र	26-07-17	29,66,000/-

10	नैनबाग	श्री जसवीर सिंह	30-05-2017	20-06-2017	हैसियत प्रमाण पत्र चरित्र प्रमाण पत्र	24-06-17 22-06-17	5,28,000/-
11	नई टिहरी	श्री पूर्णानन्द	30-05-2017	20-06-2017	स्थायी निवास प्रमाण पत्र	22-06-17	30,58,000/-
							योगफल - 281.63 लाख

भाग -2 (ब)

प्रस्तर -03 राजस्व लक्ष्य प्राप्त न किए जाने से ₹ 1.78 करोड़ की राजस्व कमी ।

आबकारी आयुक्त द्वारा वर्ष 2017-18 हेतु जारी अधिसूचना के जारी विज्ञप्ति मे उल्लेख किया गया था कि यदि तृतीय चरण के उपरांत भी दुकान व्यवस्थापित नहीं हो पाती हैं और कोई पात्र व्यक्ति जिलाधिकारी के समक्ष निर्धारित राजस्व पर दुकान लेने के लिए आवेदन करता है, ऐसी स्थिति में जिलाधिकारी द्वारा दुकान का आवटन प्रथम आवक प्रथम पावक के आधार पर किया जा सकेगा। जिस अवधि में किसी दुकान का व्यवस्थापन नहीं हो पाएगा उस अवधि में दुकान को दैनिक आधार पर चलाया जाएगा। यहाँ यह भी उल्लेख किया गया था कि दिनांक 31.05.2017 के पश्चात जो दुकान व्यवस्थापित होने से रह जाती हैं तो उन दुकानों को 01.06.2017 से दैनिक आधार पर चलाया जाएगा, दुकान को दैनिक आधार पर चलाये जाने की जिला आबकारी अधिकारी की व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी होगी।

उत्तराखंड शासन द्वारा राज्य मे देशी एवं विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर विक्री को विनियमित करने की दृष्टि से वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए जारी अधिसूचना के प्रस्तर 1 मे मदिरा दुकानों से कुल राजस्व का निर्धारण करने के लिए जनपद टिहरी हेतु ₹ 56.00 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया था ।

जिला आबकारी अधिकारी, टिहरी गढ़वाल के अभिलेखो की जांच मे पाया की इकाई द्वारा जनपद की समस्त दुकानों के लिए वर्ष 2017-18 हेतु निर्धारित राजस्व से ₹ 56.00 करोड़ का राजस्व में से, माह मई 2017 तक, ₹ 62960602/- का राजस्व प्राप्त किया था। वर्ष 2017-18, की शेष अवधि के लिए अवशेष ₹ 497039398/- राजस्व प्राप्त करना था | लेखापरीक्षा में पाया कि अवशेष अवधि के लिए दुकानों का व्यवस्थापन ₹ 479264296/- किया गया था| इसप्रकार, वार्षिक लक्ष्य से कम पर दुकानों के व्यवस्थापन से ₹177,75,102/- की राजस्व हानि हुई।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर इकाई ने उत्तर दिया कि मा0 उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिये गए निर्देश के क्रम में जनपद में मुख्य मार्ग पर स्थित चम्बा की दुकान को 500/220 मीटर दूर स्थानांतरित करना पड़ा जिसके लिए उपयुक्त स्थान नहीं मिला। जन विरोध के कारण काफी समय तक दुकान नहीं खुल पायी जिसके कारण तीसरे चरण के पश्चात भी कोई भी आवेदन दुकान संचालन के लिए प्राप्त नहीं हुआ जिस वजह से दुकान को निर्धारित राजस्व से कम राजस्व पर दैनिक आधार पर चलना पड़ा। दिनांक 01.06.2017

से 12.06.2017 तक भी निर्धारित राजस्व से कम राजस्व पर दैनिक आधार पर चलना पड़ा। दिनांक 13.06.2017 को निर्धारित राजस्व के 90% पर ऑफर मांगा गया कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ तो दुकान को दैनिक आधार 13.06.2017से 02.07.2017 तक चलना पड़ा। इसके पश्चात उत्तराखण्ड शासन के निर्देशों[3] के अनुसार "यदि इस बार अधिकतम ऑफर शेष अवधि के राजस्व का 70% या उससे अधिक प्राप्त होता है तो जिलाधिकारी द्वारा उसे तत्काल व्यवस्थापित कर दिया जाय किन्तु यदि ऑफर उससे कम प्राप्त होता है तो दुकान का संचालन दिनांक 31.03.2018 तक स्थगित रखने के निर्देश दिये जाए। विदेशी मदिरा की दुकान चम्बा हेतु दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित होते हुए ऑफर मागे गए मात्र एक ऑफर दाता द्वारा शेष अवधि के राजस्व के 70% पर दुकान संचालन हेतु ऑफर आया जिसे जिलाधिकारी महोदया द्वारा निगोसिएशन के पश्चात शेष अवधि के राजस्व के 71% पर व्यवस्थापित कर दिया गया इसप्रकार विदेशी मदिरा की दुकान चम्बा जिसका 01.06.2017 से 31.03.2018 तक निर्धारित राजस्व ₹ 6,53,90,301/- उसमे से प्राप्त राजस्व ₹ 31,49,812/- घटाते हुए 03.07.2017 से 31.03.218 तक ₹ 4,41,90,747/- के राजस्व पर व्यवस्थपित कर दिया गया। इस प्रकार, निर्धारित राजस्व में से ₹ 1.78 करोड़ की कमी आई।

उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि जारी किए गए अधिसूचना एवं विज्ञप्ति के अनुसार , तृतीय चरण (दिनांक 01-06-2017) के बाद व्यस्थापित होने से रही दुकानों का संचालन दैनिक आधार पर पूर्ण निर्धारित राजस्व पर जिला आबकारी आधिकारी की ज़िम्मेदारी थी ,इसप्रकार ₹ 1.78 करोड़ के राजस्व की हानि हुई

अत: प्रकरण शासन के संज्ञान मे लाया जाता है।

[3]पत्रांक 350 दिनांक 28.06.2017 एवं आबकारी आयुक्त उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या 4233 दिनांक 29.06.2017 के अनुसार

भाग-2 'ब'

प्रस्तर-4 बैंक गारण्टी पर निर्धारित दर से कम स्टाम्प शुल्क लिया जाना ` 0.83 लाख

इण्डियन स्टाम्प एक्ट 1899 की धारा 33 के अनुसार विधि या पक्षकारों की सहमति से साक्ष्य लेने के लिये अधिकृत पुलिस अधिकारी के सिवाय, सार्वजनिक कार्यालय का प्रभारी, प्रत्येक व्यक्ति, जिसके समक्ष, उसके कर्तव्यो के सम्पादन मे कोई ऐसा विलेख प्रस्तुत किया जाये, या आ जाये, जो उसकी राय मे स्टाम्प शुल्क से प्रभार्य है और उसे प्रतीत हो कि वह विलेख यथाविधि स्टाम्पित नही है, उसे जब्त करेगा।

पुनः अनुसूची एक ख-12 -क के अनुसार बैंक गारण्टी पर स्टाम्प शुल्क प्रत्येक `1000/- या उसके भाग के लिये पांच रुपये परन्तु शुल्क `10000/- से अधिक नही होगा।

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी टिहरी के विदेशी मदिरा के फुटकर लाइसेन्सियों की पत्रावली की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि वर्ष 2017-18 (संलग्न विवरण) के अनुसार लाइसेन्स धारक द्वारा जो बैक गारण्टी जमा की गयी थी उस पर स्टाम्प शुल्क कम अदा किया गया था जिसके कारण कुल `83,140कम स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने अवगत कराया कि इस संबंध मे नियमानुसार बकाया स्टाम्प शुल्क वसूलने हेतु पत्रलेख जारी किया जा चुका हैं।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

'संलग्नक'

क्रम सं0	दुकान का नाम	अनुज्ञापी का नाम	बैंक गारंटी की धनराशि	बैंक का नाम	देय स्टाम्प शुल्क (रू में)	जमा स्टाम्प शुल्क (रू में)	अवशेष स्टाम्प शुल्क (रू में)
1	भागीरथी पुरम		34,61,899	अल्मोड़ा अर्बन	10000		10000
2	चम्बा		45,17,300		10000		10000
3	नरेन्द्रनगर		34,11,439		10000		10000
4	लम्बगाँव		3827656		10000		10000
5	हिंडोलाखाल		2399068		10000		10000
6	नं0गडोलिया		1796240		8981		8981
7	गजा		2152207		10000		10000
8	चमियाला		2398046		10000		10000
9	धनोल्टी		992530		4962		4962
योग					83,943		83,943

भाग-III

व्यय से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रारम्भ की स्थिति		निस्तारण		अवशेष	
	2 क	2 ब	2 क	2 ब	2 क	2 ब
SE-69/2004-05	-	1	-	-	-	1
SE-33/2008-09	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**	**1**
SE-09/2012-13	**2**	**1,4**	**-**	**-**	**रिपोर्ट में प्रिंट हुया है.**	**4,(1 रिपोर्ट में प्रिंट हुया हैं)**
SE-03/2016-17	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**	**1**
SE-108/2017-18	**1**	**1**	**-**	**-**	**1**	**1**

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी
	शून्य		

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य - टिप्पणी शून्य**

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **जिला आबकारी अधिकारी, टिहरी (गढ़वाल)** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:

   शून्य टिप्पणी

2. **सतत् अनियमितताएः**

   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम	
(i)	**श्री संजय कुमार**	**जिला आबकारी अधिकारी**	(विगत लेखा से 09.01.18 तक)
(ii)	श्री तपन कुमार पाण्डेय	जिला आबकारी अधिकारी	(10.01.18 से अब तक)

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
राजस्व क्षेत्र